



इन्द्रप्रस्थ आवासीय योजना
साकार करेगी दुर्बल आय
वर्ग के लोगों का सपना
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
की इन्द्रप्रस्थ
आवासीय योजना में चार मंजिला
दुर्बल आय वर्ग भवनों की योजना



ऑनलाईन पंजीकरण हेतु

एक सुन्दर शहर, हमारा संकल्प



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद-201 001 (उ.प्र.)
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
GHAZIABAD 201001 (U.P.)

1.00 योजना का नाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की इन्द्रप्रस्थ योजना में दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) चार मंजिले भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण	1.00 SCHEME NAME Registration for allotment in Residential Scheme at Indreprast (EWS) Four Story of Ghaziabad Development Authority
2.00 योजना का कोड इन्द्रप्रस्थ ई0डब्ल्यूएस0 चार मंजिले योजना 915	2.00 THE SCHEME CODE Inderprastha EWS Four Story Scheme 915
3.00 योजना का विवरण 3.10 स्थिति उक्त योजना प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।	3.00 DETAILS OF SCHEME 3.10 LOCATION These schemes are situated in the development area of the authority.
3.20 भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल भवनों का क्षेत्रफल पृष्ठ 10 पर तालिका संख्या 1 के कॉलम सं. 6 में दर्शाया गया है।	3.20 ESTIMATED AREA OF FLATS Details of area of flats are given in page no. 10, col. No. 6 table No. 1.
3.30 भवनों की अनुमानित संख्या भवनों की संख्या का विवरण पृष्ठ 10 पर तालिका संख्या-1 के कॉलम संख्या 10 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।	3.30 ESTIMATED NUMBER OF FLATS Details of No. of flats are given in page no. 10, col. 10 of Table No. 1. Number of flats can be changed without any prior information.
3.40 भवनों का अनुमानित मूल्य भवनों का अनुमानित मूल्य पृष्ठ 10 पर तालिका संख्या 1 के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है।	3.40 ESTIMATED COST OF FLATS Estimated cost of Flats are given in page no. 10, col. no. 7 of table no. 1.
4.00 ग्राह्यता 4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो। 4.20 योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। 4.30 आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास-विकास, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य	4.00 ELIGIBILITY 4.10 The applicant must be a citizen of India. 4.20 Applicant should not to less then 18 years on the last date of submission of application form. 4.30 The applicant or his/her family (family means applicant, his wife/her husband and minor children) must not own any residential plot/house in any colony developed by Development Authority, Housing Board, Improvement Trust, any



किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

4.40 जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले से ही पंजीकरण करवाया हुआ है, तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करा कर आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अंतर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।

4.50 यदि किसी व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को ही रख सकता है, अन्य आवंटित सम्पत्तियों के विरुद्ध जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस कर दी जायेगी।

5.00 आवेदन कैसे करें

योजना के आवेदन पत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.in में दिये गये लिंक जनहित गारंटी (<https://janhit.upda.in>) पर आनलाईन भरे जायें तथा आवेदन पत्र की कीमत रु. 300/- ऑनलाईन भुगतान खाता सं. 50100265737810 एच.डी.एफ.सी., डी-44, आर.डी.सी. राजनगर गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।

5.10 अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।

6.00 पंजीकरण राशि एवं पंजीकरण शुल्क

तालिका-1 के कालम संख्या 8 व 9 में दर्शायी गई धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ अनुच्छेद 5.00 में वर्णित बैंक एच.डी.एफ.सी बैंक के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा। पंजीकरण राशि के साथ रु0 50/- पंजीकरण शुल्क तालिका 1 के कालम 8, 9 में सम्मिलित है रु0 50/-पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा।

6.10 आवंटन धनराशि

लॉटरी ड्रॉ के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि के अन्दर ऑन लाईन अथवा पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण राशि (पंजीकरण शुल्क रु. 50/- को छोड़कर) समायोजित कर ली जायेगी।

local body, co-operative society within National Capital Region. He/she must also not hold more than one plot/house developed by above said bodies in any other city/town of U.P.

4.40 Persons who are already registered with the G.D.A. under its schemes may also apply under Ibis scheme by paying registration amount, such applicants will be considered at par with others in this scheme. These applicants must clearly mention their old registration number and scheme details.

4.50 If a person or his/her family gets allotment in more than one scheme, he/she will get full refund of the money deposited for all other properties without any deduction except one which he/she wants to retain.

5.00 HOW TO APPLY

The application form is to be filled and submitted online on website www.gdaghaziabad.in, on Janhit Guarantee (<https://janhit.upda.in>) the cost of the form will be Rs. 300/- and it will be paid through A/C No. 50100265737810 HDFC Bank D-44, RDC, Rajnagar, Ghaziabad.

5.10 Incomplete or incorrect application forms will be cancelled without making any reference or intimation to the applicant.

6.00 REGISTRATION AMOUNT AND REGISTRATION FEE

The amount shown in Table No. 1 Column 8 & 9 has to be submitted by way of the filled application form. Through HDFC Bank, Registration amount of Rs. 50/- is included in the figure shown in table one column 8 and 9. Registration amount is non refundable.

6.10 ALLOTMENT AMOUNT

Successful candidates in lottery draw will have to deposit 20% of the cost of the flat, in cash or Bank draft, within two month from the date of issue of allotment letter. The registration amount (excluding registration fee Rs. 50/-) paid at the time of registration will be adjusted .



6.20 किश्तें

आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत शेष 80 प्रतिशत धनराशि 80 तिमाही किश्तों में 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जाएगा। ब्याज की गणना रुपए के निकटतम पूर्णांक में होगी। किश्तों से संबंधित धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा, नवयुग मार्केट, पी.एन.बी, अम्बेडकर रोड, ओ. बी.सी लोहिया नगर, एच.डी.एफ.सी. बैंक में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक बैंक में उपलब्ध निर्धारित चालान फार्म पर जमा किया जा सकता है। एवं प्राधिकरण की वेब साईट www.gdaghaziabad.in पर भी जमा की जा सकती है ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय गाजियाबाद में भुगतान योग्य होना चाहिए। किसी भी दशा में बैंक स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 6.30 आवंटन राशि/किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद एक माह की अनुग्रह अवधि दी जाएगी तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी भी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जाएगी तथा भुगतान की मूल देय तिथि से 10.5 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।

6.40 एकमुश्त भुगतान पर छूट

आवंटी द्वारा भवन की कुल कीमत का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों में अवशेष धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भवन के कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

6.50 पैनल ब्याज

यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। पैनल ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी।

7.00 समर्पण/निरस्तीकरण

- 7.10 सामान्य परिस्थिति में लॉटरी ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जायेगी। ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापसी के संबंध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

- 7.20 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अंदर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

6.20 INSTALMENTS

After the allotment, balance 80% amount shall be payable in 80 quarterly instalments with 7.5% interest. The instalments shall be fixed including the interest. Interest shall be calculated in round figure. Instalments can be deposited On-line GDA Web Site www.gdaghaziabad.in & PNB Ambedkar Road, OBC Bank Lohiya Nagar branches of ICICI Bank or branches of Bank of Baroda, Navyug Market, HDFC Bank D-44 RDC, Raj nagar on any working day during 10 am to 2 pm on prescribed challan from the bank. Bank Draft/payorder must be in favour of **Vice-Chairman, G.D.A. payable at Ghaziabad** Payment made through cheque will not be accepted.

- 6.30 Grace period of one month shall be given for payment of allotment amount/instalments after the due date. However, if any previous amount of instalment stands unpaid on the due date, no grace period will be admissible on the current instalment. If the payment is made after grace period, 10.5% interest shall be payable w.e.f. the original due date of payment. Grace period is allowed only for the instalments. Applications for extension of time for payment of allotment and instalments amount shall not be entertained.

6.40 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

5% discount will be given in case the balance payment is made within 60 days from the issuing date of the allotment letter. This facility will not be applicable in case of any late payment

6.50 PANEL INTEREST

If the amount payable to Ghaziabad Development Authority is not paid within time, penal interest @ 10.5% per annum shall be payable along with the payable amount. Panel interest will be calculated on day basis.

7.00 SURRENDER/CANCELLATION

- 7.10 In normal circumstance the registration amount will not be refunded before lottery draw. For refund For refund of registration amount before the draw of lottery, the decision of **Vice Chairman, GDA**, will be final.

- 7.20 If any applicant surrenders the allotted flat within 6 months of allotment and he/she is not a defaulter on account of any breach of any terms and conditions, then 10% of the registration amount shall be forfeited and the balance amounts shall be refunded without any interest. All original documents and receipt will have to be submitted for refund.



- 7.30 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों के उल्लंघन के आधार पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 7.30 If any applicant surrenders the allotted flat within 6 months of allotment but does not pay allotment money and due installment amount or breaches any term & conditions or his allotments is cancelled by G.D.A. on account of any breach of any terms and conditions, then 25% of the allotment amount shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest
- 7.40 आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- 7.40 In case of any surrender/cancellation after 6 months from the date of allotment, the whole of registration money shall be forfeited and balance amount, if any, shall be refunded without interest.
- 7.50 यदि आवंटि कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो रु. 800/- प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष इस शुल्क में 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी एवं 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं धारा 7.40 के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 7.50 If the allottee does not take the possession of the flat on due date, Chowkidari charge @ Rs. 800/- per month shall be charged and will be increased automatically by 10% every year from 01 April. In case the possession is not taken till three months from the due date, allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clause 7.40 and balance amount would be refunded without interest.
- 7.60 भुगतान विवरण के अनुसार 3 त्रैमासिक किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।
- 7.60 The authority shall have the right to cancel the allotment of flat as per rule if there is default in payment of three consecutive instalments according to the payment schedule.
- 8.00 **आय कोड**
दुर्बल आय वर्गों हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रु. 3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए आय कोड 04 है। आवेदक कर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना के समय आयप्रमाण पत्रवैद्य होना चाहिए।
- 8.00 **INCOME CODE**
This Scheme EWS Flats maximum Income 3.00 lac for all sources of the family Income code is 04 Each applicant is required to produce the income certificate issued by the competent authority of the state Govt. applicant required Income certificate at time of submission.
- 9.00 **कोटा**
- 9.00 **QUOTA**
- 9.10 शासनादेश के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी।
- 9.10 As per Govt. order reservation facility will be given in following way:



क्र.सं.	श्रेणी	कोड	प्रतिशत	S.No.	Quota Description	Code	Percentage
1.	अनुसूचित जाति	02	21%	1.	Scheduled Caste	02	21%
2.	अनुसूचित जन जाति	03	2%	2.	Scheduled Tribe	03	2%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%	3.	Other Backward Class	04	27%
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो			4.	Defence Persons, Persons in Govt. Service who have Attained the age of 50 years.		
	(क) रक्षा कार्मिक	05	} 5%	(a) Defence Persons	05	} 5%	
	(ख) सरकारी कर्मचारी	06		(b) Persons in Govt. Servic	06		
5	(क) स्वतंत्रता सेनानी	08	} 5%	5.	(a) Freedom Fighters	08	} 5%
	(ख) संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	09		(b) MP/MLA/MLC	09		
6.	(क) उ.प्र. विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10	} 2%	6.	(a) U.P. Development Authority Employees	10	} 2%
	(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	11		(b) U.P. Municipality/City Board Employees	11		
	(ग) उ.प्र. नगर निगम कर्मचारी	12		(c) U.P. Nagar Nigam Employees	12		
	(घ) उ.प्र. जल संस्थान कर्मचारी	13		(d) U.P. Jal Sansthan Employees	13		
	(ङ) उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14		(e) U.P. Jal Sansthan Employees	14		
	(च) उ.प्र. नगर एवं ग्राम के कर्मचारी (उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15		(f) U.P. City Village planning's Employees (Those employees of U.P. 15 City & Village planning Department, who have finished minimum 10 years In regular service will be included.)	15		
	(छ) आवास बन्धु उ.प्र. कर्मचारी (आवास बन्धु उ.प्र. के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	16		(g) Awas Bandhu of U.P. Employees (Those employees of Awas Bandhu of U.P. who have finished minimum 2 years in regular service will be included.)	16		
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	3%	7.	Ex-Servicemen and their dependents	17	3%

9.20 क्षैतिज आरक्षण

- विकलांग आवेदकों को शासनादेश सं. 786/8-1-08-25 विविध/07 दिनांक 30.01.2008 एवं 3645/8-1-2011-25 विविध/07 दिनांक 19.12.2011 के अनुसार कुल घोषित भवनों की संख्या का 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक होने से संबंधी आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा कोड भी भरना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि योजना प्रारंभ होने की तिथि को उसकी आयु 60 वर्ष से कम न हो।

9.20 Horizontal Reservation

- As per GO No. 786/8-1-08-25 vividh/07 dated 30.01.2008 and GO No. 3645/8-1-2011-25 vividh/07 dated 19.12.2011, handicapped applicants will be given 3% horizontal reservation of total flats. Such applicants are required to produce certificated of their being handicapped.
- Senior citizens will also get 10% horizontal reservation of total declared flats. Such applicants are required to produce age certificate with regard to senior citizen and enter quota code in application form. Senior citizen implies those applicants who are not below 60 years on the date of start of scheme.



9.30 विकलांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10.00 सामान्य आवेदक

आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात शेष भवनों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य नियम 11.00 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र की मद संख्या 14 के अंतर्गत कोड 01 भरें।

11.00 ड्रा प्रक्रिया

11.10 योजना का लॉटरी ड्रा लगभग छः माह में किया जाना प्रस्तावित है।

11.20 भवनों का विक्रय जहाँ है जैसा है के आधार पर किया जायेगा।

11.30 योजना के ड्रा के समय उपस्थित रहने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैन्यूअल प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर भवन का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों/वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

12.00 असफल आवेदक

12.10 जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए गारंजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी।

12.20 यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की अंतिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

12.30 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि आवेदक के बैंक खाते में एक माह के बाद ऑनलाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा संबंधित बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से वापस कर दी जाएगी।

13.00 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

9.30 In case the applicant fails to produce 'handicapped' or 'Senior citizen' certificate and other required documents issued by competent authority, the application will be declared invalid.

10.00 GENERAL APPLICANTS

After allotment of reserved category, remaining flats shall be allotted to the persons registered under general category as per provision of point 11.00 of brochure. Applicants applying under general category should fill 01 as quota code in their applications against item No. 14 of the application form.

11.00 DRAW PROCEDURE

11.10 Lottery Draw of the scheme is proposed within six months.

11.20 Flats will be sold in the condition in which they are already present.

11.30 The reservation/allotment of flat will be made by a manual draw in the presence of the applicants, who wish to be present. No information regarding date and place for lottery shall be given individually, This information shall be published in the newspaper/on website. No request for specific flat by any applicant shall be entertained.

12.00 UNSUCCESSFUL APPLICANTS

12.10 With regard to the unsuccessful applicants whose deposit is lying with GDA for less than 1 year, the amount will be refunded without interest.

12.20 If the draw is held within 1 year, no interest on deposit will be given. In case the draw is held after 1 year from the start of the scheme, 3.5% simple interest from the last date of registration will be given.

12.30 The registration amount shall be refunded after one month of draw online by nodal branches through Draft/Cheque or Online in unsuccessful applicants account.

13.00 REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS

If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment will be cancelled without any communication to the applicant and he/she will be debarred from participating in future draws. Further his/her registration amount shall be forfeited.



14.00 कब्जा

इस योजना में भवन का कब्जा निर्धारित मूल्य का 20 प्रतिशत धनराशि एवं लीज किराया जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध-विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा। जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

14.10 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या भारत सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा नियम एवं उपनियम के अंतर्गत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।

14.20 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लग

15.00 पट्टा विलेख

आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त 3 महीने के अंदर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

16.00 भवनों का प्रयोग

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

17.00 अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

17.10 आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/ आवंटियों को मान्य होंगे।

17.20 तालिका 1 में दर्शाये गये भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के कब्जा के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

17.30 इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

17.40 किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय गाजियाबाद को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

14.00 POSSESSION

Possession of the houses shall be given to the allottee on the payment of 20% of the premium of houses, leaserent and registration of agreement deed by him/her. The cost of sale or agreement deed shall be borne by the allottee.

14.10 Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Central Government or UP Govt. any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession.

14.20 Allottee, himself/herself, will apply for the electricity/ water connection to the concerned department at his/her own expenses.

15.00 LEASE DEED

Allottee, at his her own cost must complete all all formalities and get the lease deed executed and registered in proforma prescribed by the Authority, within three months of paying full cost of the property otherwise allottee will face penal proceeding as per Laws of authority at that time.

16.00 USE OF FLATS

The flat shall not be used for any other purpose except residential by allottee.

17.00 OTHER IMPORTANT NOTICES

17.10 Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, reserves the right to amend any terms and conditions of the scheme till the time of allotment and such amendment or amendments shall be acceptable and binding on the applicants/allottees.

17.20 Area of flats shown in table-1 may change at the time of actual Possession of the scheme. Changed area, will be acceptable to the allottee and payment shall be made accordingly.

17.30 Decision of the Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority will be final in every matter regarding this scheme.

17.40 Ghaziabad courts shall have exclusive jurisdiction in case of any disputes.

Vice-Chairman
Ghaziabad Development Authority



तालिका-2 : आजीविका एवं उनके कोड
TABLE-2: OCCUPATION & THEIR CODES

आजीविका का विवरण Description of Occupation		आजीविका का कोड Occupation Code
SERVICE	सेवा	
Service in State / Central Govt.	राज्य/केंद्रीय सरकार में सेवा	10
Service in Public Sector	सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा	11
Service in Private Sector	निजी क्षेत्र में सेवा	12
Service in Armed Forces	सशस्त्र सेनाओं में सेवा	13
Service in Schools	विद्यालयों में सेवा	14
Service in College/University	महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में सेवा	15
Domestic Service	घरेलू सेवा	16
Other Service	अन्य सेवा	17
BUSINESS	व्यवसाय	
Traders	व्यवसायी	20
Business Executive/Director	व्यवसाय कार्यकारी/निदेशक	21
Business Owner	व्यवसाय स्वामी	22
Industrialist	उद्योगपति	23
Other Business	अन्य व्यवसाय	29
AGRICULTURE	कृषि	
Agriculturist	कृषक	30
Farmer	किसान	31
Agriculture Labourer	कृषि मजूदर	32
SELF EMPLOYED	स्वतः रोजगारी	
Self Employed Doctor	स्वतः रोजगारी डॉक्टर	40
Self Employed Engineer	स्वतः रोजगारी इंजीनियर	41
Self Employed Advocate	स्वतः रोजगारी एडवोकेट	42
Self Employed Chartered Accountant	स्वतः रोजगारी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	43
Self Employed Vendor	स्वतः रोजगारी विक्रेता	44
Self Employed Agents	स्वतः रोजगारी एजेंट	45
Other Self Employed Persons	अन्य स्वतः रोजगारी व्यक्ति	49
DEPARTMENT / FIRM	विभाग/फर्म	
Govt. Department	सरकारी फर्म	50
Govt. Undertaking	सरकारी निकाय	51
Limited / Pvt. Ltd. Company	लिमिटेड/प्रा. लि. कम्पनी	52
Partnership Firm	साझेदारी फर्म	53
Charitable Institution	धर्मार्थ संस्था	54
Other Department / Firm / Institution	अन्य विभाग/फर्म/संस्था	59
OTHER	अन्य	
Occupation not covered by above	उपर्युक्त से पृथक आजीविकाएं	98



भवनों की तालिका संख्या 1

क्र. सं०	योजना का नाम	योजना कोड	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति कोड	भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मी.)	भवनों का अनुमानित मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण राशि (₹ 50/- पंजीकरण शुल्क सहित)		भवनों की कुल सं.
							राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षित श्रेणी हेतु (₹)	अन्य सभी आवेदकों हेतु (₹)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इन्द्रप्रस्थ में EWS योजना चार मंजिले	915	EWS	41 D	29.70	6,67,000.00	33,400.00	66,750.00	250

नोट :

1. तलों के लिए कोई वरीयता नहीं है।
2. लाटरी एक साथ सभी तलों के भवनों को मिलाकर डाली जाएगी।
3. भवनों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

FLATS TABLE NO. 1

1	Scheme Name	Scheme Code	Property Category	Property Code	Covered Area of Flats	Estimated Costs of Flats (Sq. Mtr.)	Registered Money (₹ 50/- Registration Charges)		Total No. of Flats
							Reservation categories declared by the State Govt. (₹)	For all other applicants (₹)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Inderprasth EWS SCHEME F/Storey	915	EWS	41 D	29.70	6,67,000.00	33,400.00	66,750.00	250

Note:

1. There is no priority for floor-wise.
2. The lottery will be drawn for flats on floors together.
3. The numbers of flats may increase or decrease.

रु0 300 /—



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O. 9001 - 2015 एवं I.S.O. 14001-2015 प्रमाणित संस्था

विकास पथ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन नं.: 0120-6110433 एस.एम.एस.: 9818988807

ई-मेल : helplinegda@gmail.com  : @gdagzb  : @gdagzb

एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प